राजस्थान सरकार

निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः–सामा./आर.एच./14/41 दिनांकः 5-11-14

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर /भीलवाड़ा /सीकर / चित्तौड़गढ / चूरू /दौसा / गंगानगर / हनुमानगढ़ / झालावाड़ / झुन्झुनू / नागौर / पाली / सवाईमाधोपुर / टोंक (राजस्थान)।

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामावि, रासीमावि एवं आवासीय ब्रिज कोर्स शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के 14 जिलों (अलवर , भीलवाड़ा , सीकर , चित्तौड़गढ , चूरू ,दौसा , गंगानगर , हनुमानगढ़ , झालावाड़ , झुन्झुनू , नागौर , पाली , सवाईमाधोपुर , टोंक) में **सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामावि, रासीमावि एवं आवासीय ब्रिज कोर्स शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यालयों** मे अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम दिनांक 14 नवम्बर 14 से शुरु किया जा रहा है। शेष जिलों में स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत निदेशक (आर सी एच) द्वारा 14 नवम्बर से प्रारम्भ किया जा रहा है, ताकि जिन बच्चों में खून कि कमी /खाज खुजली, पेट में कीड़े, विटामिनो की कमी/दृष्टि हॅास, टीबी, एवं दांतों में होने वाली बीमारियों/उम्र के अनुपात में वजन व लम्बाई में कमी से ग्रस्त बच्चों का पता लगा कर उनको उपचार उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि राष्ट्र के निर्माण मे वे अपनी भूमिका निभा सकें।

प्रमुख शासन सचिव, (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) एवं प्रमुख शासन सचिव, (स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग) के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी परिपत्र एवं कार्य योजना संलग्न कर भिजवाई जा रही है, इसके अनुसार बैठकें आयोजित कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी एवं ए.एन.एम द्वारा माईक्रो प्लान तैयार करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण कार्य दिनांक 14.11.14 से 23.12.14 तक सम्पादित करावें, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यक औषधियों व स्टेशनरी की आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित करें। उक्त कार्यक्रम हेतु बजट वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय द्वारा शीघ्र आवंटित किया जारहा है। फाईनल रिर्पोट दिनांक 10.01.15 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः–सामा./आर.एच./14/ दिंनाकः

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री,राज0सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री,राज0सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा ,राज0 सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0,राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायत राज विभाग,एवं मिड–डे–मील,राज0, जयपुर।
6. निजी सहायक, अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान,जयपुर।
7. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज0 को निर्देश दिये जाते हैं कि कार्यक्रम की मोनिटरिंग सुचारू रूप से की जावे एवं की गई कार्यवाही की सूचना निदेशालय में फैक्स न0 0141–2224831 पर समय से भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. उप निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, ब्लॉक–5, चतुर्थ तल, जयपुर।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, राजस्थान।
10. प्रभारी सर्वर रूम को नेट पर शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में अपलोड करवाने हेतु।
11. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान,जयपुर।

कार्ययोजना
शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम
2014–15

क्र. सं.	गतिविधि	दिनांक	दायित्व
1	प्रभारी शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम/ ए.पी.सी. (औ.शि.) बैठक	7–11–14	राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
2	संभाग स्तरीय मीटिंग (मेडिकल विभाग, पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग)	8–11–14	सभी सयुंक्त निदेशक
3	जिला स्तरीय कोर ग्रुप संयुक्त मीटिंग (मेडिकल विभाग, पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग) एवं ब्लॉकवार योजना निर्माण एवं प्रबंध व्यवस्था	9–11–14	डीपीसी, सर्व शिक्षा अभियान, संबंधित जिला
4	**आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य पंजिका एवं रेफरल कार्ड्स जिलों को उपलब्ध कराना**	**10–11–14**	प्रा./उप्रा विद्यालयों में पहुंचा दी गई है।मा./उमा. विद्यालयों में दि0.................... तक पहुँचा दी जाएगी।
5	ब्लॉक/पीएचसी स्तरीय कोर ग्रुप संयुक्त मीटिंग (मेडिकल विभाग, पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग) एवं विद्यालयवार योजना निर्माण एवं प्रबंध व्यवस्था	9–11–14	बीईईओ/नोडल संस्था प्रधान एवं संबंधित ब्लॉक एवं सी.एच.सी/पीएचसी इंचार्ज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
6	एएनएम, एलएचवी, एमपीडब्ल्यू एवं प्रत्येक विद्यालयों से 1 अध्यापक का प्रशिक्षण (मेडिकल विभाग, पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग)	11–11–14 तक	सभी सी.एच.सी/पीएचसी इंचार्ज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
7	**जिलों द्वारा विद्यालयों को स्वास्थ्य पंजिका /रेफरल कार्ड्स उपलब्ध कराना**	**11–11–14 तक**	**जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए / आरएमएसए**
8	विद्यालयवार छात्र संख्या की अद्यतन सूची पीएचसी को उपलब्ध कराना	11–11–14 तक	नोडल प्रधानाध्यापक/संस्था प्रधान
9	विद्यार्थियों/शिक्षकों/अभिभावकों को स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देना एवं प्रचार–प्रसार	11–11–14से 13–11–14तक	प्रधानाध्यापक, संबंधित विद्यालय
10	जिला/ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम प्रबंध/व्यवस्था की समीक्षा/सुनिश्चयन	13–11–14तक	जिला/ब्लॉक स्तरीय कोर ग्रुप
11	विद्यालय स्तरीय स्वास्थ्य चैकअप प्रबंध	13–11–14तक	शिक्षा विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
12	**हैल्थ चैकअप एवं स्वास्थ्य पंजिका स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा भरा जाना**	**14–11–14से 12–12–14तक**	**शिक्षा विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**
13	स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा स्क्रीन्ड किये गये बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाना एवं रैफर कार्ड भरा जाना	20–11–14से 19–12–14तक	शिक्षा विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
14	अनुपस्थित विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण	22–12–14से 23–12–14तक	शिक्षा विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
15	रैफरल प्रकरणों की पहचान एवं रैफरल कार्ड भरा जाना	20–11–14से 23–12–14	शिक्षा विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

16	रैफरल प्रकरणों की मॉनिटरिंग	03–01–15 से क्रमशः	शिक्षा विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
17	चिकित्सा विभाग के लिये वाहन व्यवस्था	नवम्बर–14 से जन015 तक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग(आर.सी.एच. फण्ड से)
18	शिक्षा विभाग एवं प्रोजेक्ट के लिये वाहन व्यवस्था प्रारम्भिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा	नवम्बर–14 से जन015 तक	आर.सी.ई.ई., जयपुर (एस.एस.ए. फण्ड से)
19	पंचायती राज विभाग के लिये वाहन व्यवस्था	नवम्बर–14 से जन015 तक	पंचायती राज विभाग, जयपुर
20	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं डी. ई. ओ. द्वारा जिले की समस्त सूचना संकलित कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करना	10 जनवरी 15 तक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य / शिक्षा विभाग

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा
राजस्थान सरकार, जयपुर।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
विभागराजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग (स्कूल एंव संस्कृत शिक्षा)

राजस्थान सरकार

परिपत्र

क्रमांक– 40
दिनांक – 5-11-14

शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम

(सत्र 2014–15)

राज्य के 14 जिलों (अलवर , भीलवाड़ा , सीकर , चित्तौड़गढ , चूरू ,दौसा , गंगानगर , हनुमानगढ़ , झालावाड़ , झुन्झुनू , नागौर , पाली , सवाईमाधोपुर , टोंक) में शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामावि, रासीमावि एवं आवासीय ब्रिज कोर्स शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के समन्वित सहयोग एवं प्रयास से वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत दिनांक 14-11-14 से 23-12-14 तक किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण कार्यकम दिनांक 14-11-14 से 23-12-14 तक किया जावेगा। शेष जिलों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम के अर्न्तगत निदेशक (आर सी एच) द्वारा 14 नवम्बर से किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच एवं सामान्य बीमारी (बुखार, सिरदर्द, खांसी, उल्टी, दस्त, एनीमिया, आयरन/विटामिन की कमी, दंतरोग, दृष्टिदोष आदि) की दवाइयां एवं उनका उपचार स्वास्थ्य परीक्षण के समय उन्हें उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित है।

जिन बच्चों में दृष्टि, श्रवण, अस्थि दोष, मानसिक विमंदिता अथवा बहुविकलांगता पाई जाती है, उन्हें मेडिकल बोर्ड से परीक्षण हेतु रैफर किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण विद्यालयवार किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. विद्यार्थियों में प्रारंभिक अवस्था में होने वाली सामान्य बीमारियों का पता लगाकर उनका उपचार करना।
2. स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत गंभीर रोग से ग्रसित विद्यार्थियों को उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
3. विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना।
4. अच्छे स्वास्थ्य हेतु वातावरण निर्माण करना।
5. विभिन्न दोषयुक्त बच्चों को चिह्नीकरण पश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण हेतु रैफर करना।

इस कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना/प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

1. विभिन्न स्तरों (राज्य, जिला, ब्लॉक, संकुल एवं विद्यालय) पर कोर टीम का गठन।

➢ **राज्य स्तरीय कोर टीम–**

- आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
- आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा , राजस्थान ,बीकानेर।

- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।

➢ **संभाग स्तरीय कोर टीम–**

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
- उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा)। कार्यक्रम के समन्वयन एवं संयुक्त मॉनिटरिंग का दायित्व निर्वहन करेंगे।

➢ **जिला स्तरीय कोर टीम–**

- जिला कलेक्टर
- सीईओ, जिला परिषद्
- सीएमएचओ
- डीईओ (प्रा.शि.)/माध्यमिक शिक्षा
- डी.पी.एम.(एन.आर.एच.एम)
- डिप्टी सीएमएचओ मुख्यालय/आर.सी.एच.ओ.
- एडीपीसी, सर्व शिक्षा अभियान/माध्यमिक शिक्षा अभियान
- एपीसी, प्रभारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान

➢ **ब्लॉकं स्तरीय कोर टीम–**

- खण्ड विकास अधिकारी
- खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/नोडल प्रधानाचार्य राउमावि
- ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर (बी.पी.एम.)
- एबीईईओ, (वरिष्ठ) प्रभारी अधिकारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

➢ **नोडल स्तरीय कोर टीम –**

- चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- प्रगति/पंचायत प्रसार अधिकारी सम्बन्धित पंचायत समिति
- संस्था प्रधान, नोडल विद्यालय, प्रभारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सीआरसीएफ

➢ **विद्यालय स्तरीय कोर टीम–**

- चिकित्सा अधिकारी
- संस्थाप्रधान/अध्यक्ष विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
- अभिभावक प्रतिनिधि, शाला प्रबन्धन समिति
- ए.एन.एम.,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- ग्राम सेवक सम्बन्धित ग्राम पंचायत
- मनोनीत अध्यापक, प्रभारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

2. कार्यक्रम क्रियान्वयन की संयुक्त जिम्मेदारी कोर टीम की होगी। विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक बुलाने का **<u>दायित्व शिक्षा विभागीय अधिकारियों का होगा।</u>**

3. बच्चों में व्याप्त बीमारियों की जांच किये जाने से उपचार/निदान तक मॉनिटरिंग का संयुक्त दायित्व उक्त टीम का होगा।

4. विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व निम्नानुसार होंगे–

(A) **<u>विद्यालय स्तरीय कार्य</u>**

- विद्यार्थियों का पंजीकरण, स्वास्थ्य पंजिका संघारण एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण यथा–ऊंचाई मापन, वजन मापन एवं सीना मापन प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यकर्ता/चिकित्सक के निर्धारित कार्यकम से पूर्व किया जाएगा।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता(ए.एन.एम/एल.एच.वी./अन्य) द्वारा सभी विद्यार्थियों का मेडिकल चैकअप करना एवं स्वास्थ्य पंजिका/ स्वास्थ्य कार्ड भरना।
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम/एल.एच.वी./अन्य) द्वारा स्क्रीन किये गये विद्यार्थियों में पायी जाने वाली सामान्य बीमारियों का प्राथमिक उपचार उपलब्ध निःशुल्क दवाइयां देकर करना। गंभीर बीमारियों के लिए रैफर कार्ड भरना तथा प्रकरण मेडिकल बोर्ड के लिए रैफर करना।
- रैफरल कार्ड को चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से पीएचसी / सीएचसी / जिला अस्पताल को भिजवाया जाएगा। रैफरल कार्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा बच्चे की बीमारी को इंगित करते हुये भरा जावेगा तथा सूचनार्थ अभिभावक को भेजा जायेगा। अभिभावक बच्चे को लेकर पीएचसी / सीएचसी / जिला अस्पताल में सम्पर्क करेंगे।
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा विद्यालय को उपलब्ध करायी गई चैक लिस्ट के आधार पर चिह्नित विभिन्न दोषयुक्त बच्चों की सूची तैयार करना तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण पश्चात् इन्हें मेडिकल बोर्ड के लिए रैफर करना।
- रैफरल प्रकरणों के स्वास्थ्य जांच पश्चात विवरण पीएचसी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना।
- विद्यालयों में प्रभारी अध्यापक द्वारा स्वास्थ्य जांच पंजिका संधारण किया जाना। जॉच पंजिका/स्वास्थ्य पजिका भरवाये जाने में सहयोग का दायित्व संस्थाप्रधान का होगा।

<u>व्यवस्था/प्रबंध (संस्था प्रभारी द्वारा)</u>

- विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्वास्थ्य कार्यक्रम दिवस का संदेश भिजवाकर स्वास्थ्य परीक्षण दिवस पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

- तीन दिन पूर्व विद्यालय स्टाफ की बैठक कर व्यवस्था (पेयजल, स्थान, टेबल–कुर्सी, दरी, बच्चों को लाने की व्यवस्था, कार्ड व रजिस्टर संधारण, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था, चिकित्सालय से समन्वयन आदि) के पृथक–पृथक दायित्व आवंटित करना।
- स्वास्थ्य परीक्षण दिवस पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- विद्यालय के बड़े कक्ष में स्वास्थ्य जांच की समस्त व्यवस्था करना तथा स्वास्थ्य जांच हेतु आवश्यक उपकरण (भार मापक, ऊंचाई मापक, सीना मापक) आदि की व्यवस्था करना।विद्यालय में भार मापक मशीन न होने पर इसे विद्यालय सुविधा अनुदान में से क्रय किया जाए।

(B) **पीएचसी / सीएचसी स्तरीय कार्य**

- चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रैफर प्रकरणों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रकरणों को पीएचसी / सीएचसी / जिला अस्पताल भिजवाना रैफरल प्रकरणों का फीडबैक प्राप्त करना।
- पीएचसी पर औषधियों की आवश्यक पहुंच / उपलब्धता चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करना।

व्यवस्था / प्रबंध

- विद्यालयों को देय समय एवं तिथि पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करना ।
- विद्यालयों को देय समय एवं तिथि पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र पर सामान्य बीमारियों के लिये अनुमोदित सूची के अनुसार दवाइयों की पहुंच सुनिश्चित करना।
- जरूरत मंद गरीब बच्चों को राष्ट्रीय अधंता निवारण कार्यक्रम के अर्न्तगत निःशुल्क चश्में वितरित करना।
- कार्यरत मेडिकल स्टाफ की कमी / अनुपलब्धता महसूस होने पर संविदा पर सेवानिवृत्त एएनएम, एलएचवी की व्यवस्था करना।

(C) **पंचायती राज विभाग के कार्य–**

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् द्वारा सभी विकास अधिकारियों को स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं बैठकों में अनिवार्यतः उपस्थिति हेतु पाबंद करना।
- संबंधित विकास अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों को विद्यालय स्तर तक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की गतिविधियों में सहभागिता हेतु आदेशित करना।
- जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देना।
- विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम दिवसों पर मॉनिटरिंग के लिये कार्यक्रम तय करना।

(D) राज्य स्तरीय कार्य–

1. राज्य स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन का दायित्व आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर का होगा। रैफरल कार्ड एवं शाला स्वास्थ्य पंजिका व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2012–16 तक के लिए विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है।
2. संबंधित विभागों द्वारा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जाना।
3. विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों की सामुहिक बैठक बुलाये जाने का दायित्व राप्राशिप का होगा।

(E) अन्य दायित्व

1. जिला स्तर से सीएचसी/पीएचसी/एएनएम/पैरामेडीकल स्टॉफ की स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ड्यूटी लगाने का दायित्व संबंधित जिले के सीएमएचओ का होगा।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)/माध्यमिक शिक्षा अपने जिले के बीईईओ को कार्यक्रम की मॉनिटरिंग तथा संस्था प्रधानों को स्वास्थ्य परीक्षण तिथि से पूर्व की व्यवस्थाओं हेतु पाबन्द करेंगे।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अपने जिले के समस्त पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिको को स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में सहयोग हेतु विशेष दिशानिर्देश जारी करेंगे।
4. पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उनके स्वयं के विभागों से देय होगा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जांच हेतु हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर इन बच्चों के स्वास्थ्य की पूर्ण जांच करायें। अंग उपकरण की अभिशंषा के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र तैयार कराना।
6. समस्त जिला अस्पताल/सी.एच.सी./पी.एच.सी. को रैफर किये गये विद्यार्थियों का उपचार प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।
7. मेडिकल विभाग स्वीकृत सूचि में से दवाईयां बच्चों के समान्य इलाज के लिये उपलब्ध करायेगा।
8. मेडिकल विभाग बीपीएल श्रेणी के गम्भीर बीमारियों से ग्रसित विद्यार्थियों के उपचार हेतु निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करायेगा।

- **स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में मौके पर संपादित की जाने वाली प्राथमिकताऐं–**
  - ➢ जिला स्तरीय कोर टीम बिना सूचना के किसी भी ब्लॉक/नगर पालिका/शहर के विद्यालय के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगी तथा कोताही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंषा कर सकेगी।
  - ➢ स्वास्थ्य परीक्षण तिथि को पीएचसी चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों में फील्ड विजिट करेंगे। इस हेतु उन्हें वाहन व्यवस्था चिकित्सा विभाग द्वारा आरसीएच मद से उपलब्ध करायी जायेगी।

(F) सूचना सम्प्रेषण: –

1. विद्यालय से नोडल स्तर पर सूचना प्रपत्र 1 में 9 नवम्बर–14 तक प्रेषित की जायेगी।
2. नोडल स्तर से सम्बधित विद्यालयों की समेकित सूचना प्रपत्र 2 में संकलित कर 5 जनवरी 2015 तक ब्लॉक स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
3. ब्लॉक स्तर पर बीईओ द्वारा समेकित सूचना प्रपत्र 3 में जिला स्तर पर 8 जनवरी 2015 कर प्रेषित की जावेगी। ब्लॉक की सूचना की 1 प्रति ब्लॉक सीएमएचओ को भी प्रेषित की जायेगी।
4. जिला स्तर से ब्लॉक स्तरीय समेकित सूचना प्रपत्र 4 में 10 जनवरी 2015 तक ई–मेल द्वारा परिषद मुख्यालय पर एसडब्लूएसएचआई प्रकोष्ठ को swshecell@hotmail.com पर प्रेषित की जावेगी तथा एक प्रति सीएमएचओ को भी प्रेषित की जावेगी।

नोट:–

1. संबधित सभी विभागों के राज्य स्तरीय , संभागीय, जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग निर्धारित संलगित प्रपत्र (अ), में भरकर ही की जायेगी। निर्धारित मॉनिटरिंग प्रपत्र भरकर सम्बन्धित विभाग के सुपरवाईजर को जमा करवाया जायेगा तथा जिला स्तर से प्रपत्र मे सकंलित सूचना के आधार पर संक्षिप्त रिर्पोट ,अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा) , निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें , राज0 जयपुर को एवं आयुक्त , रा0पा0शि0प0 जयपुर को 10 जनवरी 2015 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

2. ए.एन.एम./एल.एच.वी. द्वारा अपने निर्धारित क्षैत्र का माइक्रोप्लान निर्धारित सलंगित प्रपत्र (ब) में भरकर सेक्टर अधिकारी को, सेक्टर स्तर से ब्लॉक स्तर एवं ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग को 11 नवम्बर –14 तक जमा करवाया जायेगा।

3. रैफरल फोलो–अप के सुदृढ़िकरण हेतु एएनएम द्वारा विशेषज्ञों की सूची संस्थावार बनाई जावेगी एवं बच्चों को सम्बन्धित संस्था पर उपचार हेतु रेफर किया जावेगा। स्कूल नोडल अध्यापक द्वारा रैफरल प्रकरणों का फोला–अप किया जावेगा एवं रिकार्ड पी.एच.सी/सी.एच.सी. /जिला अस्पताल एवं स्कूल स्तर पर संघारण किया जावेगा।

4. अभियान के दौरान प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा विभाग/आरएमएसए द्वारा ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेगें तथा नियमित रूप से सूचना विद्यालय से उचित माध्यम से राज्य स्तर को प्रेषित की जायेगी। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के महत्व को देखते हुये समस्त संबधित अधिकारियों/शिक्षकों/कार्मिको से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण रूप से सामंजस्य रखते हुये तत्परता से कार्य कर शतप्रतिशत राजकीय विद्यालयों को सम्मिलित करते हुये, समस्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कर ,कार्यक्रम को सफल बनायें।
(सलंग्न रैफरल कार्ड प्रारूप व सूचना प्रपत्र 1– 4)

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक Gen\RH\40 दिनांक 5-11-14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, वि0शासन सचिव, प0क0 एवं एम.डी. एन.आर.एच.एम. विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीन समस्त कार्यालयों/अधिकारीगणों को सूचित करने का श्रम करावे।
6. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीन समस्त कार्यालयों/अधिकारीगणों को सूचित करने का श्रम करावे।
7. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर, राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीन समस्त कार्यालयों/अधिकारीगणों को सूचित करने का श्रम करावे।
8. निदेशक (प0क0/एडस/आर.सी.एच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
9. अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशालय जयपुर।
10. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समस्त संभाग राज0।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।
13. स्टेट प्रोग्राम मैनेजर (एन.आर.एच.एम), निदेशालय मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आपके अधीन समस्त डी.पी.एम तथा बी.पी.एम.को सूचित करने का श्रम करावे।
14. उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा /माध्यमिक शिक्षा, समस्त संभाग।
15. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा /माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
16. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
17. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए/आरएमएसए समस्त जिले।
18. कार्यालय प्रति।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

विशेष शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम रेफरल कार्ड

फार्म–2

1. विद्यार्थी का नाम .... 2. उम्र ....3. लिंग............................

4. माता/पिता/अभिभावक का नाम .... 5. कक्षा ....

6. विद्यालय का नाम .... 7. ब्लॉक ....8. जिला ....

9. स्वास्थ्य परीक्षण तिथि .... डाइस कोड ....

10. विद्यालय में मौके पर चिकित्सक द्वारा दिया गया उपचार ....

....

11. रेफर किये गये संस्थान का नाम व पता ....

12. रोग जिसके लिए रेफर किया गया ....

ह. चिकित्सक

रेफर किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वा.के./जिला अस्पताल/उच्चतर चिकित्सा संस्थान के द्वारा की गई जांच/उपचार का विवरण*

....

....

ह0संस्था प्रधान

ह. चिकित्सा अधिकारी

स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी सूचना

ब्लॉक–　　　　　　　　ब्लॉक कोड–　　　　　　　　जिला–

प्रपत्र –1

क्र.सं.	संकुल का नाम	विद्यालय का प्रकार (उ.प्रा./ प्रा./सै./ सी.सै. आदि)	विद्यालयों की कुल संख्या	स्वास्थ्य जांच वाले विद्यालयों की संख्या	कुल विद्यार्थी	स्वास्थ्य जांच किये गये विद्यार्थी	अस्वस्थ पाये गये विद्यार्थी	रेफरल प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	9	10

➢ जिला मुख्यालय से निर्धारित प्रारूप में सूचना राज्य स्तर पर भेजी जायेगी–

स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी सूचना

विद्यालय स्तरीय रिर्पोटिंग प्रपत्र–1

विद्यालय का नाम :– डाईस कोड :–

ब्लाकः– जिलाः–

नोडल विद्यालय का नामः– प्रधानाध्यापक का नामः–

मोबाइल नं0:–

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1	स्कूल में दर्ज कुल बच्चों की संख्या	
2	परीक्षण किए गए कुल बच्चों की संख्या	
3	शेष रहे बच्चों की संख्या	
4	वजन के अनुसार कुपोषित पाए गए कुल बच्चों की संख्या	
5	एनीमियों की कमी वाले बच्चों की संख्या	
6	सामान्य के अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या	
7	थ्यकलांगता	
	अ- दृष्टि	
	ब- श्रवण	
	स- अस्थि	
	द- मानसिक	
	य- अन्य	
7	स्वच्छता सम्बन्धी परीक्षण में अस्वच्छ पाए गए कुल बच्चों की संख्या	
8	मुख परीक्षण –	
	अ-दांतो में सडन वाले कुल बच्चों की संख्या	
	ब-अन्य मुख रोगों से पीडित कुल बच्चों की संख्या	
9	कान /श्रवण दोष वाले कुल बच्चों की संख्या	
10	रात्रि में नहीं देख पाने वाले बच्चों की संख्या	
11	खाज/खुजली/त्वचा रोग वाले कुल बच्चों की संख्या	
12	दो सप्ताह से अधिक खाँसी वाले कुल बच्चों की संख्या	
13	उल्लेखित के अतिरिक्त अन्य रोग वाले विद्यार्थियों की संख्या	
14	अस्वस्थ पाए गए कुल बच्चों की संख्या	
15	रेफर किए गए कुल बच्चों की संख्या	
16	मौक पर उपचारित विद्यार्थियों की संख्या	
17	डीवर्मिंग की दवा लेने वाले विद्यार्थयों की संख्या अक्टूबर, 2012 के दौरान	

हस्ताक्षर
नोडल अध्यापक

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक

नोडल स्तरीय रिर्पोटिंग प्रपत्र–2

मासः– 201ऋऋऋऋऋऋ

डाईस कोड :–

संकुलः– ब्लाकः– जिलाः–

नोडल अध्यापक का नामः– प्रधानाध्यापक का नामः–

मोबाइल नं0:– मोबाइल नं0:–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	स्कूल में दर्ज कुल बच्चों की संख्या	परीक्षण किए गए कुल बच्चों की संख्या	बी.एम.आई. अनुसार कुपोषित पाए गए कुल बच्चों की संख्या .	सामान्य के अधिक बी.एम. आई वाले बच्चों की संख्या	थ्वकलांगता					रात्रि में नहीं देख पाने वाले बच्चों की संख्या	स्वच्छता सम्बन्धी परीक्षण में अस्वच्छ पाए गए कुल बच्चों की संख्या	मुख परीक्षण		कान से मवाद बहने वाले बच्चों की संख्या	खाज/खुजली/त्वचा रोग वाले कुल बच्चों की संख्या	दो सप्ताह से अधिक खाँसी वाले कुल बच्चों की संख्या	अस्वस्थ पाए गए कुल बच्चों की संख्या	रेफर किए गए कुल बच्चों की संख्या	उल्लेखित के अतिरिक्त अन्य रोग वाले विद्यार्थियों की संख्या	मौके पर उपचारित विद्यार्थियों की संख्या	डीवर्मिंग की दवा लेने वाले बच्चों की संख्या अक्टूबर 2012 में	एनीमिर की क वाले ब की संख
						अ- दृष्टि	ब- श्रवण	स- अस्थि	द- मानसिक	य- वाक दोष (हकलाना)			अ– दांतो में सडन वाले कुल बच्चों की संख्या	ब – अन्य मुख रोगों से पीडित कुल बच्चों की संख्या									

नोडल के हस्ताक्षर

ब्लॉक स्तरीय रिर्पोटिंग प्रपत्र–3

सूचना सम्प्रेषण तिथि :–

ाईस कोड :–

लाकः–

ी.ई.ओ. को नाम एवं मोबाई न. –

जेलाः–

्र.सं.	नोडल विद्यालय का नाम	नोडल विद्यालय क्षेत्र में दर्ज कुल बच्चों की संख्या	परीक्षण किए गए कुल बच्चों की संख्या	बी.एम.आई. अनुसार कुपोषित पाए गए कुल बच्चों की संख्या	सामान्य के अधिक बी.एम. आई वाले बच्चों की संख्या	थ्वकलांगता					रात्रि में नहीं देख पाने वाले बच्चों की संख्या	स्वच्छता सम्बन्धी परीक्षण में अस्वच्छ पाए गए कुल बच्चों की संख्या	मुख परीक्षण		कान से मवाद बहने वाले बच्चों की संख्या	खाज/खुजली/त्वचा रोग वाले कुल बच्चों की संख्या	दो सप्ताह से अधिक खॉसी वाले कुल बच्चों की संख्या	अस्वस्थ पाए गए कुल बच्चों की संख्या	रेफर किए गए कुल बच्चों की संख्या	उल्लेखित के अतिरिक्त अन्य रोग वाले विद्यार्थियों की संख्या	मौके पर उपचारित विद्यार्थियों की संख्या	डीवर्मिंग की दवा लेने वाले बच्चों की संख्या अक्टूबर 2012 में	एनीमिर की कर वाले ब की संख
						अ- दृष्टि	ब- श्रवण	स- अस्थि	द- मानसिक	य- वाक दोष (हकलाना)			अ– दांतो में सडन वाले कुल बच्चों की संख्या	ब – अन्य मुख रोगों से पीडित कुल बच्चों की संख्या									

बीईओ के हस्ताक्षर

जिला स्तरीय रिर्पोटिंग प्रपत्र–4

सूचना सम्प्रेषण तिथि :–

जिला:–

डीईओ का नाम:–

मोबाइल नं0:–

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक में दर्ज कुल बच्चों की संख्या	परीक्षण किए गए कुल बच्चों की संख्या	बी.एम.आई. अनुसार कुपोषित पाए गए कुल बच्चों की संख्या	सामान्य के अधिक बी.एम.आई वाले बच्चों की संख्या	विकलांगता					रात्रि में नहीं देख पाने वाले बच्चों की संख्या	स्वच्छता सम्बन्धी परीक्षण में अस्वच्छ पाए गए कुल बच्चों की संख्या	मुख परीक्षण		कान से मवाद बहने वाले बच्चों की संख्या	खाज/खुजली/त्वचा रोग वाले कुल बच्चों की संख्या	दो सप्ताह से अधिक खाँसी वाले कुल बच्चों की संख्या	अस्वस्थ पाए गए कुल बच्चों की संख्या	रेफर किए गए कुल बच्चों की संख्या	उल्लेखित के अतिरिक्त अन्य रोग वाले विद्यार्थियों की संख्या	मौके पर उपचारित विद्यार्थियों की संख्या	डीवर्मिंग की दवा लेने वाले बच्चों की संख्या अक्टूबर 2012 में	एनी… की कम… बच्चे… सं…
						अ-दृष्टि	ब-श्रवण	स-अस्थि	द-मानसिक	य-वाक दोष (हकलाना)			अ– दांतो में सडन वाले कुल बच्चों की संख्या	ब – अन्य मुख रोगों से पीडित कुल बच्चों की संख्या									

डीईओ के हस्ताक्षर

माइक्रोप्लान प्रपत्र "ब" (School Health Programme)						
वर्ष:						
जिला :..........................			ब्लाक..................................			
उपकेन्द्र:						
दिवस	**पहला**	**दूसरा**	**तीसरा**	**चौथा**	**पांचवा**	**छठा**
तारीख						
स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम						
स्कूल (स्कूलो) का नाम व् पता						
स्कूल में दर्ज कुल बच्चों की संख्या						
भ्रमण का समय						
आज जांच किये जाने वाले कुल बच्चों की संख्या						
दिवस	**सातवॉ**	**आठवा**	**नौवा**	**दसवा**	**ग्यारहवा**	**बारहवा**
तारीख						
स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम						
स्कूल (स्कूलो) का नाम व् पता						
स्कूल में दर्ज कुल बच्चों की संख्या						
भ्रमण का समय						
आज जांच किये जाने वाले कुल बच्चों की संख्या						
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर अ:			ब:			

शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम. मानिटरिंग प्रपत्र " अ"

जिला	ब्लाक	विद्यालय का नाम			भ्रमण तिथि
पर्यवेक्षक का नाम		पद		कुल विद्यार्थियों की संख्या	
स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम		उपकेन्द्र			

A. सामन्य जानकारी

1	क्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने शाला स्वास्थ्य कार्क्रम पर प्राशिक्षण प्राप्त किया है? हाँ/ नहीं
2	क्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास माइक्रो प्लान है ? हां / नहीं
2.1	क्या स्क्रीनिंग माइक्रो प्लान के अनुसार की जा रही है? हाँ /नहीं
3	इस विद्यालय में स्वास्थ जांच करने के कुल दिवस की संख्या
4	क्या विद्यालय के स्टाफ को आज के दिन होने वाली जांच कि जानकारी पहले से थी ? हाँ / नहीं
5	क्या विद्यालय में ऊचाई/भार मापन के लिए उपकरण उपलब्ध हैं? हां/ नहीं
6	क्या कक्षा अध्यापक ने स्वास्थय कार्य करता के आने से पहले बी एम् आई का कालम भरा ह? हाँ/ नहीं

B. स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जांच किये जा रहे विद्यार्थियों का अवलोकन

1	क्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता को चार्ट से बी एम् आई निकालने का तरीका मालूम है?											
2	स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जांच करे जा रहे कम से कम पांच बच्चों का अवलोकन करें एवं सही रूप से जांचे गए बच्चों की संख्या लिखें											
	A. बी एम् आई मापन		B. दृष्टि		C. श्रवण		D. अस्थि रोग		E. मानसिक		F. वाक् दोष	
	G. रतौंधी		H. स्वच्छता		I. दन्त रोग		J. कान बहना		K. त्वचा रोग		L. दो सप्ताह से अधिक खांसी	
3	क्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता छात्र की जांच करने के बाद प्रत्येक एंट्री को सही प्रकार से अंकित कर रही है / हाँ/ नहीं											
4	अब तक जांच किये गए बच्चों में क्या किसी बच्चे को किसी उपचार की आवश्यकता पड़ी थी ?											
4.1	यदि हाँ तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने क्या कदम उठाये ? कृपया टिक करें											
	A. दवाई प्रदान की		B. रेफर किया						C. कुछ नहीं			
5	क्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास अनुपस्थित बच्चों के स्वास्थ्य परिक्षण की योजना है?											

C. स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जांच किये गए विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण (किन्हीं पांच विद्यार्थियों का)

क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	उम्र	क्या रजिस्टर में अंकित सूचना बच्चे की	पर्यवेक्षक द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्यवाही
1					
2					
3					
4					
5					